



पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0)
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234
website :- www.cghealthuni.com


क्रमांक /F- /NS- /डी.यू.एच.एस./परीक्षा/19/1374 रायपुर, दिनांक- 28-2-2019

// अधिसूचना //

एम.सी.आई. नियमानुसार विश्वविद्यालयीन अध्यादेश 04 एम.बी.बी.एस. परीक्षा की कंडिका (7) उप कंडिका 3(7) के अनुसार

3(7) The supplementary examination for 1st Professional MBBS examination may be conducted within 6 months so that the students who pass can join the main batch and the failed students will have to appear in the subsequent year provided that the students who pass the supplementary examination shall be allowed to appear in the second professional MBBS examination only after he/she completes the full course of study of three semesters (i.e. 18 months) for the second professional MBBS examination irrespective of the examination of the main batch.

उपरोक्तानुसार एम.बी.बी.एस. प्रोफेशनल द्वितीय की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तदनुसार समस्त महाविद्यालय कार्यवाही करें।



कुलसचिव

पृ.क्रमांक /F- /NS- /डी.यू.एच.एस./परीक्षा/19/

रायपुर, दिनांक-

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता, डी.यू.एच.एस., रायपुर से संबंध महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलपति/कुलसचिव, कार्यालय डी.यू.एच.एस., रायपुर।
3. विकास/गोपनीय/कम्प्यूटर शाखा (गोपनीय)/परीक्षा/लेखा विभाग, डी.यू.एच.एस., रायपुर। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कम्प्यूटर शाखा, विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
5. संपादक, स्थानीय समाचार पत्रों को उपरोक्त अधिसूचना समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. अधिसूचना की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.cghealthuniv.com का अवलोकन करें।


कुलसचिव